

कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 1589 / 02 / नीति / टीसी / 2015

ग्वालियर दिनांक 13.4.15

प्रति,

क्षेत्रीय / अति.क्षेत्रीय /
जिला परिवहन अधिकारी
.....(समस्त)(म0प्र0)

विषय:- महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु निर्देश

महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु विभाग में यद्यपि पूर्व से निर्देश प्रसारित है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त पत्रावली अनुसार विषयांकित क्रम में प्रदेश में म.प्र. स.परि. नि.द्वारा संचालन न होने से प्रदेश में निजी परिवहन ऑपरेटर्स द्वारा वाहन संचालन हो रहा है विभागीय स्तर पर भी महिला यात्रियों की सुरक्षा के उपायों का क्रियान्वयन हेतु परिवहन अधिकारी एवं परिवहन चेकपोस्टों पर निरीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है।

1. महिला यात्रियों के लिये प्रक्रम वाहनों में सीट क्रमांक 11 से 16 आरक्षित रखी जाती है जिनके पालन हेतु अनुज्ञापत्रों में अनुज्ञाधारी को निर्देश अंकित होते हैं, का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

2. महिला यात्रियों की सुरक्षा मापदण्डों में मोटरयानों में किसी भी प्रकार की फिल्म हटाने एवं वायुरोधी कांच व खिड़कियों के काँच के संबंध में मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-22-24/012/आठ दिनांक 27 दिसंबर 2012 से निर्देश प्रसारित है (छायाप्रति संलग्न) जिनका चार पहिया वाहनों में आवश्यक रूप से पालन हो।

3. महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्तियों के चालक/परिचालक लायसेंस निरस्त किये जाने संबंधी व सभी चार पहिया वाहनों से काली फिल्म निकालने के एवं वाहन चालकों एवं परिचालकों के लिये वर्दी व नेमप्लेट लगाये जाने के संबंध में निर्देश प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालय की ओर परिवहन मुख्यालय से प्रसारित पत्र क्रमांक 683/एसटीए /टीसी /2012 दिनांक 05.01.2013 का पालन किया जाना परिवहन अधिकारी सुनिश्चित करें।

4. महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध के संबंध में लायसेंस निरस्ती परमिट निरस्ती का पालन सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 4145/4436/13/आठ दिनांक 27 अगस्त 2013 द्वारा प्रदेश के गृह विभाग मंत्रालय एवं महानिदेशक पुलिस को लेख किया गया शासन आदेश पालन में प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों की ओर परिवहन मुख्यालय से पत्र क्रमांक 7909 दिनांक 12.09.13 से

निर्देश प्रसारित किये गये डाटाबेस पुलिस विभाग से प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्तियों के ड्राईविंग लायसेंस/परमिट निलंबित/निरस्त किये जावें परिवहन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध करने वालों का डाटाबेस पुलिस विभाग से प्राप्त होने पर दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को चालक प्रशिक्षण संस्थान, प्रदूषण जॉच केन्द्र तथा ट्रेड सर्टिफिकेट जारी नहीं करे जिनके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध घटित किये गये हैं।

इसी प्रकार किसी वाहन स्वामी या परमिटधारी के विरुद्ध महिलाओं के संबंध में अपराध घटित करने की जानकारी प्राप्त होने पर उसको यात्री/मालयान परमिट जारी करने अथवा नवीनीकरण के समय नियमानुसार रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित करें।

5. महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु वाहन के अंदर यान का पंजीयन क्रमांक एवं पुलिस हेल्पलाईन नं. 1091 आवश्यक रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करें। कॉर्मर्शियल व्हीकल के यान चालकों के लायसेंस जारी किये जाने से पूर्व पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ली जाय एवं पुलिस रिपोर्ट के पश्चात् ही लायसेंस जारी हो इस हेतु प्रदेश के परिवहन अधिकारी आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करें।

6. वाहन चालकों को यात्रियों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्देश प्राप्त होने पर **Motor Driving Tr. Center** के माध्यम से ड्राईविंग कोर्स के अंतर्गत अमल में लाया जाना सुनिश्चित करें।

7. चालक/परिचालकों का विवरण कम्प्यूटर के माध्यम से संधारण किया जा रहा है, किसी भी वाहन चालक की पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट से ज्ञात हो जावे, सुनिश्चित किया जावे।

12e
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

l ग्वालियर दिनांक 13-4-2015

पृ० क०1589/02/नीति/टीसी/2015

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म प्र शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल
3. जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश (समस्त)
4. पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश (समस्त)
5. प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट/विशेष जॉच दलम.प्र.
6. मैसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड

द्वारा सेन्ट्रल सर्वर परिवहन मुख्यालय म.प्र.

12e
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन - 462004

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

//आदेश//

क्रमांक एफ-22-24/012/आठ मान उच्चतम सायालय द्वारा मोटर यात्रों के वायुरोधी कांच तथा खिड़की के कांच पर किसी भी प्रकार की चिपकी हुई फिल्म को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। अतः उक्त निर्देशों के पालन में कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2/ कांच के संबंध में केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 100 (2). के अनुसार प्रत्येक मोटरयान का वायुरोधी कांच और खिड़कियों के कांच ऐसे होंगे और वे ऐसी दशा में बनाये रखे जायेंगे कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश 70 प्रतिशत से अन्यून (Visual transmission of light is not less than 70 %) हो। बाजू की खिड़कियों में प्रवृक्ष कांच ऐसे होंगे और ऐसी दशा में बनाये रखे जायेंगे कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश 50 प्रतिशत से अन्यून (Visual transmission of light is not less than 50 %) हो।

3/ उक्त नियम के प्रकाश में जिन मोटर यात्रों के बाने उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार नहीं हैं, संबंधित वाहन नियमों को 15 दिवस के अन्दर कमी दूर करने हेतु कड़ी चेतावनी दी जाती है। नियमों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं नियम 1989 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

✓/M/S/
(आर.एम.साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-22-24/2012/आठ

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियार।
4. जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश (सामर्स्त)
5. आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. विशेष सहायक, मान परिवहन मंत्रीजी, मध्यप्रदेश
7. गाईड फाइल।

✓/M/S/
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग

